



न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर  
पीठासीन अधिकारी, डॉ० राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस.

अपील संख्या 85/18

निर्णय दिनांक: 19.04.2018

1. मनीराम पुत्र नानूराम जाति भाट निवासी गांव खियाणा हाल आबाद गांव कांकड़वाला तहसील लूणकरनसर जिला बीकानेर।

—अपीलांट

—बनाम—

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, कोलायत।

रेस्पोंडेन्ट

अपील विरुद्ध आज्ञा दिनांक 19-11-1993  
सहायक आयुक्त उपनिवेशन, कोलायत

उपस्थिति:—

1. श्री विजय भादाणी , अभिभाषक अपीलांट
2. श्री नन्दराम कासनियों, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन, कोलायत के निर्णय दिनांक 19-11-1993 जिसके द्वारा अपीलांट को पूर्व में अन्य को आवंटित भूमि व नहर व अनिवार्य वन पट्टी का रकबा आवंटन किया गया, के विरुद्ध इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।
2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।
3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट ने भूमिहीन में आवंटन हेतु उपनिवेशन तहसील कोलायत के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर तमाम जाँच के उपरान्त अपीलांट को सक्षम अधिकारी द्वारा दिनांक 19-11-1993 को भूमिहीन के तौर पर

पात्र मानते हुए चक 2 पीएसएम 11 के मुरब्बा नम्बर 181/42 में किला नम्बर 5 ता 7, 14 ता 18, 23 ता 25 में 11 बीघा, चक 3 पीएसएम 11 के मुरब्बा नम्बर 161/64 में किला नम्बर 9, 11 ता 13, 18 ता 20, 21, 22 में 8 बीघा 14 बिसवा व मुरब्बा नम्बर 161/56 में किला नम्बर 16 में 1 बीघा कुल तादादी 20 बीघा 14 बिस्वा भूमि आवंटन की गई तथा वादगत भूमि का पट्टा जारी कर दिया गया। इस प्रकार अदालत मातहत द्वारा आवंटन की तमाम कार्यवाही पूर्ण कर ली गई। जबकि अपीलांत को आवंटित भूमि पूर्व में कुछ भू-भाग नहर व अनिवार्य वन पट्टी में होने व कुछ भू-भाग अन्य व्यक्ति को आवंटित होने के कारण अपीलांत को उक्त भूमि का कब्जा प्राप्त नहीं हो सका। इसमें अपीलांत का कोई दोष नहीं है। अपीलांत एक गरीब काश्तकार है जिसकी आय का एक मात्र स्रोत खेती ही है। अपीलांत आज भी भूमिहीन व्यक्ति है।

राज्य सरकार के भी ऐसे आदेश है कि ऐसे भूमिहीन व्यक्तियों को वरीयता देकर अन्यत्र भूमि दी जावे। चूंकि अपीलांत को आवंटित भूमि पूर्व से ही आवंटनशुदा भूमि है इसलिए अपीलांत अन्य भूमि पाने का पात्र है। अदालत मातहत को अपीलांत के आवंटन को निरस्त करते हुए अन्य भूमि आवंटित की जानी चाहिए थी लेकिन अदालत मातहत द्वारा अपीलांत का आवंटन न तो निरस्त किया न ही उसकी एवज में अन्यत्र भूमि के आदेश पारित नहीं किये हैं। जबकि अपीलांत की पात्रता आज दिनांक तक कायम है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर किया गया आदेश है। अतः अपीलांत की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे व आवंटन अधिकारी को निर्देश प्रदान करावें कि अपीलांत को उसकी पात्रता अनुसार उसी किस्म की अन्य भूमि आवंटित की जावे।

उन्होंने मियांद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार से बाहर है। जिसमें मियांद अधिनियम बाधक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 19-11-1993 के विरुद्ध अपील दिनांक 05-02-18 को पेश की है। जोकि विलम्ब से पेश की है। इसलिए अपील मियाद बाहर है। मियाद प्रार्थना पत्र में मियाद कण्डोन करने का कोई संतोषजनक कारण अंकित नहीं किया है। अपीलांट को आवंटित भूमि पूर्व में ही अन्य को आवंटनशुदा भूमि व अनिवार्य नहर पट्टी हेतु आरक्षित भूमि है। अतः उक्त आराजी अपीलांट को नहीं मिल सकती। अब अपीलांट किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।
5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।
6. जहाँ तक मियाद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 19-11-1993 को पारित किया गया है। जिसके विरुद्ध अपील 05-02-2018 को पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में राज्य पक्ष द्वारा कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया है। अतः प्रार्थी के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियाद घोषित की जाती है।
7. (1) हस्तगत प्रकरण में अपीलांट द्वारा सामान्य/भूमिहीन के तौर पर आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र दिये जाने पर सलाहकार समिति की राय से उपनिवेशन तहसील कोलायत के चक 2 पीएसएम 11 के मुरब्बा नम्बर 181/42 में किला नम्बर 5 ता 7, 14 ता 18, 23 ता 25 में 11 बीघा, चक 3 पीएसएम 11 के मुरब्बा नम्बर 161/64 में किला नम्बर 9, 11 ता 13, 18 ता 20, 21, 22 में 8 बीघा 14 बिसवा व मुरब्बा नम्बर 161/56 में किला नम्बर 16 में 1 बीघा कुल तादादी 20 बीघा 14 बिसवा भूमि आवंटन की गई तथा वादगत भूमि का पट्टा जारी कर दिया गया। इस प्रकार अदालत मातहत द्वारा आवंटन की तमाम कार्यवाही पूर्ण कर ली गई।

(2) प्रकरण में अपीलांट को आवंटित रकबे का कुछ भू-भाग नहर व अनिवार्य वन-पट्टी हेतु आरक्षित होने व कुछ भू-भाग अन्य व्यक्तियों यथा मनीराम पुत्र नानुराम को आवंटित होने के कारण अपीलांट को उक्त भूमि का कब्जा प्राप्त नहीं हो सका। ऐसी स्थिति में उक्त रकबा अपीलांट को प्राप्त नहीं हो सकता। जबकि अदालत मातहत को उक्त आवंटन से पूर्व यह देखा जाना चाहिए था कि उक्त आराजी पूर्व में अन्य को आवंटितशुदा भूमि है अथवा नहीं? अदालत मातहत द्वारा इस तथ्य की जाँच किये बिना ही आराजी जैर का आवंटन अन्य को आवंटित कर दी गई।

(3) जहाँ तक अपीलांट को आराजी जैर के आवंटन का संबंध है, अपीलांट को आवंटन, आवंटन सलाहकार समिति व अध्यक्ष आवंटन समिति की राय से बाद जाँच ही आवंटन किया गया था। अदालत मातहत द्वारा आवंटन से पूर्व इस तथ्य पर गौर नहीं किया गया ना ही जाँच नहीं की गई, कि आवंटन दिनांक को उक्त आराजी जैर शुद्ध रूप से आवंटन हेतु उपलब्ध थी अथवा नहीं? अदालत मातहत का उक्त कृत्य धोर लापरवाही का द्योतक है। अदालत मातहत द्वारा की गई चूक अथवा लापरवाही का खामियाजा अपीलांट को नहीं मिल सकता।

(4) प्रकरण में अपीलांट को आवंटित भूमि को खारिज किये बिना ही उक्त भूमि का अन्य आवंटियों को आवंटित भूमि का आवंटन किया गया है। प्रकरण में आवंटन अधिकारी की चूक या कर्मचारियों की लापरवाही का खामियाजा आवंटि को नहीं दिया जा सकता। अदालत मातहत को आवंटन से पूर्व इस तथ्य की जाँच की जानी चाहिए थी कि क्या आराजी जैर आवंटन दिनांक को अपीलांट की पात्रता अनुसार शुद्ध रूप से भूमिहीन श्रेणी में आवंटन हेतु उपलब्ध थी अथवा नहीं? अदालत मातहत द्वारा इस तथ्य की जाँच किये बिना अपीलांट को पूर्व में आवंटित भूमि का आवंटन किया गया है। जो स्पष्ट रूप से अयुक्तियुक्त आवंटन है।

(5) यहाँ यह उल्लेखनीय है कि प्रकरण में अपीलांट द्वारा अदालत मातहत के समक्ष आवंटन पश्चात् रिकार्ड में अमलदरामद हेतु बार-बार सम्पर्क किया जाता रहा है। अदालत मातहत की पत्रावली के अवलोकन

से स्पष्ट है कि उनके द्वारा दिनांक 20-01-2014 को अपीलांत की पत्रावली डबल आवंटन में भूमि आवंटन हेतु प्रकरण माना गया है पर कोई कार्यवाही आज दिनांक तक नहीं की गई है। अपीलांत अन्तहीन समय तक अपने आवंटन के अमल दरामद हेतु इंतजार नहीं कर सकता। अदालत मातहत द्वारा ना तो अपीलांत का आवंटन खारिज किया गया ना ही अपीलांत के आवंटन का अमल दरामद किया गया। अतत: अपीलांत को न्यायालय की शरण के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं बचता।

(6) अदालत मातहत को तत्समय ही अपीलांत के आवंटन की पुष्टि करते हुए अपीलांत को आराजी जैर का कब्जा सुपुर्द करते हुए रिकार्ड में अमलदरामद किया जाना चाहिए था। अदालत मातहत द्वारा इस तथ्य पर कोई गौर किये बिना अपीलांत को अन्य को आवंटित भूमि का आवंटन किया गया है। अदालत मातहत की इस प्रकार की कार्यवाही किसी प्रकार से युक्तियुक्त/न्यायसंगत कार्यवाही नहीं कही जा सकती। अदालत मातहत व उसके अधीन कार्यरत कर्मचारी/पटवारी की उदासिनता या लापरवाही का दण्ड अपीलांत को नहीं दिया जा सकता।

(7) इसप्रकार विवेचन से निम्नलिखित निष्कर्ष न्यायालय के समक्ष पत्रावलियों के अभिवचनों एवं रिकार्ड के अवलोकन से प्रदर्शित होते हैं:—

- (क) तत्समय बड़ी मात्रा में भूमिहीन आवंटन हेतु आवेदन प्राप्त हुए।
- (ख) आवंटनों हेतु आवेदनों की जाँच व परीक्षण करने में लापरवाही या त्रुटि से आवंटन कर दिये गये या आवेदन अनिर्णित भी रहे। या यह भी कि त्रुटिपूर्ण आवंटन भी कर दिया व तत्पश्चात् ज्ञात होने पर उस पूर्व आवंटन पत्रावली पर कोई कार्यवाही ना कर या स्वयं की गलती को छिपाने की गरज से उसी भूमि को अन्य को आवंटन कर दिया गया।
- (ग) उक्त त्रुटि का लाभ उठाने हेतु तत्पश्चात् वर्षों बाद तकनीकी बिन्दुओं यथा विभागीय त्रुटि, बिना सूचना आवंटन खारिजी व वही रकबा अन्य को आवंटन या अपीलार्थी को बार-बार

आवेदन पर भी विभागीय अकर्मण्यता का लाभ उठा कर उच्च न्यायालयों में अपील दायर कर यथाशम्य स्वयं के हित में आदेश प्राप्त कर अन्यत्र भूमि प्राप्त कर लेना—बड़ी संख्या में ऐसे मामलें आये हैं।

(घ) ऐसी दशा में यह भी देखने में आया है कि पूर्व का आवंटनशुदा रकब कब्जे के अभाव में या अन्यथा आवंटन पश्चात् भी अमलदरामद ना होने से पुनः आराजीराज आवंटन हेतु रकबे में जारी चला आते रहने से पुनः किसी अन्य या पश्चातवर्ती आवेदक को आवंटन हो गया या पश्चातवर्ती आवंटन पूर्णतया गलत रूप से आवंटित हुआ हो।

(ङ) उक्त सभी दशाओं में दोनों आवंटिती की पत्रावलियों की जाँच की जाकर यदि अपीलार्थी के आवेदन व आवंटन सही है व आज भी बहाल चला आ रहा है एवं उसकी स्वयं की कोई त्रुटि नहीं है तो आवंटन अधिकारी/अधिनस्थ न्यायालय से यह अपेक्षा की जाती है कि वह सम्पूर्ण उक्त तथ्यों की जाँच कर कार्यवाही करें।

(8) अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का आवंटन आज दिनांक तक निरस्त नहीं किया गया है। अपीलांट की पात्रता आज दिनांक तक कायम है।

(9) चूंकि अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को आवंटित भूमि को खारिज किये बिना ही वादगत् भूमि का आवंटन अन्य व्यक्ति को किया गया है उक्त तथ्य तहसीलदार, कोलायत द्वारा प्रस्तुत भूमिहीन आवंटन रिपोर्ट से भी स्पष्ट रूप से प्रदर्शित है कि वादगत् भूमि वर्तमान में कुछ भू-भाग पर गैर मुमकिन जोहड़ पायतान व मनीराम पुत्र नानूराम को आवंटित होने व मौके पर उनका कब्जा काश्त होकर रिकार्ड में दर्ज है। लिहाजा उक्त भूमि अपीलांट को प्राप्त नहीं हो सकती। ऐसी स्थिति में अपीलांट भूमिहीन श्रेणी की विवादरहित भूमि अन्यत्र प्राप्त करने का अधिकारी है।

8. अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट की अपील आंशिक स्वीकार की जाती है व अपीलाधीन आदेश दिनांक 19-11-1993 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोलायत को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को नियमानुसार उसकी पात्रता की जाँच करते हुए भूमिहीन श्रेणी की विवादरहित भूमि उपलब्ध होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावे।
9. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 19.04.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ० राकेश कुमार शर्मा)  
राजस्व अपील प्राधिकारी  
बीकानेर

